न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 24 सन 2020
अनवान :–

1. भगवानी पत्नी रामचन्द्र जाति गोसाई (गुसाई) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 04/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 40/36 की कुल 7.6510हैक भूमि में सायला सयुक्त तौर से 2591/7651 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है

सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण भुगानी देवी पत्नी रामचन्द्र दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम भगवानी है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल सभी में सायला का नाम भगवानी दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 40/36 की कुल 7.6510हैक भूमि में सायला सयुक्त तौर से 2591/7651 हिस्सा भूमि में वादी का नाम भुगानी के स्थान पर भगवानी संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 40/36 की कुल 7.6510हैक भूमि में सायला सयुक्त तौर से 2591/7651 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है

सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण भुगानी देवी पत्नी रामचन्द्र दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम भगवानी है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल सभी में सायला का नाम भगवानी दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 40/36 की कुल 7.6510हैक्ट भूमि में सायला सयुक्त तौर से 2591/7651 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है

जिसमें सायला का नाम भुगानी दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम भगवानी है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल सभी में सायला का नाम भगवानी दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 40/36 की कुल 7.6510हैक्ट भूमि में सायला सयुक्त तौर से 2591/7651 हिस्सा में सायला का नाम भुगानी पत्नी रामचन्द्र दर्ज है के स्थान पर भगवानी पत्नी रामचन्द्र संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 24 / 2020 अनवानी भगवानी बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. भगवानी पत्नी रामचन्द्र जाति गोसाई (गुसाई) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 24 / 2020 अनवानी भगवानी बनाम सरकार में दिनांक 04/03/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 40 / 36 की कुल 7.6510हैक भूमि में सायला सयुक्त तौर से 2591 / 7651 हिस्सा में सायला का नाम भुगानी पत्नी रामचन्द्र दर्ज है के स्थान पर भगवानी पत्नी रामचन्द्र संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)